M1 18

निरीक्षण प्रतिवेदन

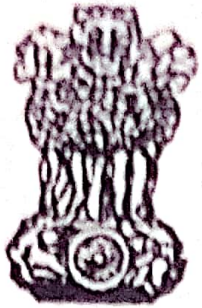

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : पण्डौल

निरीक्षण की तिथि : 24–02–2003

डा० बी० राजेन्दर

भा०प्र०से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

Scanned with OKEN Scanner

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 24-2-2003 को पण्डौल थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

(1) परिचय :-

पण्डौल थाना की स्थापना गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 156 दिनांक 6-1-1976 के द्वारा किया गया है । जिला मुख्यालय से लगभग 10 कि०मी० की दूरी पर यह थाना अवस्थित है । निकटतम रेलवे स्टेशन थाना से लगभग 3 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है । प्रचलित किंवदन्तियों के अनुसार प्राचीन काल में पाण्डवों ने अपने वनवास काल में एक दिन का समय प्रखंड कार्यालय से पूरब लगभग एक किलो मीटर की दूरी पर स्थित एक टीला(ऊँचा स्थान) पर गुजारा था, जिसके कारण ही संभवतः इसका नामांकरण "पण्डौल" हुआ है । इसके अलावा प्रखंड कार्यालय से मात्र तीन किलो मीटर की दूरी पर भवानीपुर ग्राम में उगना महादेव का मंदिर स्थित है, जिसका अपना ही ऐतिहासिक महत्व है । मंदिर वाले स्थान के बारे में यहाँ प्रचलित है कि मिथिला के सुप्रसिद्ध कवि एवं परम शिव भक्त विद्यापति जी के यहाँ भगवान शिव उगना नाम से रूप बदल कर सेवक के रूप में कार्य करते थे और एक बार कहीं जाने के क्रम में मंदिर वाले स्थान के पास विद्यापति जी के द्वारा पीने के लिए पानी माँगे जाने पर शिवजी(उगना) ने अपनी जटा से गंगाजल निकाल कर उन्हें दिया था, जिसे विद्यापति जी भाँप गये थे और अन्ततः शिवजी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर विद्यापति जी को दर्शन दिया था । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस थाना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2, 18, 274 है । इस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 26 पंचायत है । निरीक्षण के क्रम में थाना परिसर में 7 जीप, 2 ऑटो, एक ट्रैक्टर एवं एक जेनरेटर पड़ा हुआ पाया गया । थाना प्रभारी ने बताया कि ये सभी गाड़ियाँ/सामान विभिन्न मामले में जप्ती के क्रम में पकड़ा गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी जाँच कर निष्पादन करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

लगभग एक माह पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी एवं आरक्षी निरीक्षक सदर मधुबनी निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं थे, जो खेद का विषय है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि उक्त दोनों पदाधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे । साथ ही सभी संबंधित

लगातार...2/-

को अपने स्तर से निर्देश भी देना चाहिये कि वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण के समय निश्चित रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें ।

(2) भवन :-

इस थाना का अपना कोई भवन नहीं है । थाना प्रभारी ने बताया कि राज दरभंगा के अंचल भवन में यह थाना कार्यरत है । वर्तमान में यह भवन अच्छी स्थिति में है । भवन के एक हिस्से में थाना प्रभारी का आवास है । अन्य पुलिस पदाधिकारियों के लिए आवास उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी ने बताया कि इसी भवन के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है । थाना भवन में पुरुष हाजत है परन्तु महिला हाजत की व्यवस्था नहीं है । बताया गया कि वर्ष 1972 से पूर्व यह थाना नगर थाना, मधुबनी के अन्तर्गत ही आता था । इस थाना के अन्तर्गत दो ओ०पी० क्रमशः तकरी एवं तरितवपाडी है । दोनों ओ०पी० का एफ०आई०आर० पण्डौल थाना में ही दर्ज होता है । निरीक्षण के क्रम में बैरेक का भी निरीक्षण किया गया । थाना परिसर के पीछे बहुत गंदगी है, जिसे साफ-सुथरा कराने का निर्देश दिया जाता है ।

(3) प्रभार :-

श्री सुशील कुमार यादव, अवर निरीक्षक दिनांक 22-05-2002 से थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं । इनके पूर्व श्री बी० के० मण्डल, अवर निरीक्षक, थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे । अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार वर्ष 1972 से इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों के पदस्थापन की सूची तैयार की गयी है । इस थाना में कार्यरत पदाधिकारियों के पदस्थापन संबंधी नामपट्ट संधारित है एवं थाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ट में टंगा हुआ है । वर्ष 1972 से पण्डौल थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों का नाम एवं अवधि निम्नवत है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संवर्ग	कार्य अवधि
1-	श्री स्त०स्न०शुक्ला	अवर निरीक्षक	1972 से 1974 तक
2-	श्री के०पी०दूबे	अवर निरीक्षक	1974 से 1976 तक ।
3-	श्री स्च०स्न०सिंह	अवर निरीक्षक	1976 से 1979 तक ।
4-	श्री जे०पी० वर्मा	अवर निरीक्षक	1979 से 1981 तक ।

लगातार...3/-

Scanned with OKEN Scanner

5-	श्री एस0डी0पाण्डेय	अवर निरीक्षक	1981 से 14-09-1982 तक ।
6-	श्री एस0एन0दास	अवर निरीक्षक	08-10-1983 से 1984 तक ।
7-	श्री बीरेश्वर प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	1984 से 1988 तक ।
8-	श्री एस0बी0पाण्डेय.	अवर निरीक्षक	1988 से 15-10-1990 तक ।
9-	श्री परीक्षण राम	अवर निरीक्षक	21-10-1990 से 19-04-1991 तक ।
10-	श्री सूर्यदेव प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	23-04-1991 से 29-01-1992 तक ।
11-	श्री एम0 रहमान	अवर निरीक्षक	30-01-1992 से 24-02-1992 तक ।
12-	श्री परशुराम राम	अवर निरीक्षक	24-02-1992 से 03-07-1992 तक ।
13-	श्री एस0एन0सिंह	अवर निरीक्षक	04-07-1992 से 09-07-1993 तक ।
14-	श्री मोहन लाल रजक	अवर निरीक्षक	10-07-1993 से 19-04-1994 तक ।
15-	श्री सत्य नारायण रजक	अवर निरीक्षक	20-04-1994 से 26-06-1995 तक ।
16-	श्री बलिराम प्रसाद	अवर निरीक्षक	27-06-1995 से 03-12-1996 तक ।
17-	श्री सुशील कुमार गुप्ता	अवर निरीक्षक	04-12-1996 से 12-02-1999 तक ।
18-	श्री आनन्द कुमार	अवर निरीक्षक	13-02-1999 से 05-11-1999 तक ।
19-	श्री विनोद राम	अवर निरीक्षक	06-11-1999 से 06-01-2000 तक ।
20-	श्री बी0के0मण्डल	अवर निरीक्षक	07-01-2000 से 21-05-2002 तक ।
21-	श्री सुशील कु0यादव	अवर निरीक्षक	22-05-2002 से अद्यतन ।

(4) स्थापना :-

पण्डौल थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	2	2	-	-

लगातार...4/-

2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	3	-	1
3-	हवलदार	2	1	1	-
4-	ताडर आरक्षी	1	1	-	-
5-	आरक्षी	11	5	6	-
	कुल योग :-	18	12	7	1

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हवलदार का एक पद एवं आरक्षी का छः पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त एक सहायक अवर निरीक्षक इस थाना में अतिरिक्त पदस्थापित हैं। आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि रिक्त स्थानों के विरुद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

स्वीकृत बल के विरुद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन की विस्तृत विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1	2	3	4	5
1-	अवर निरीक्षक	सुशील कुमार यादव	22-05-2002	ग्राम-पो0-माधवनगर, थाना-भवानीपुर राजधाम, जिला-पूर्णियाँ।
2-	अवर निरीक्षक	शशिकान्त झा	16-09-2000	ग्राम-रोहवा, थाना-वारिसनगर, जिला-समस्तीपुर।
3-	सहायक अवर निरी0	अनिरुद्ध रजक	19-10-2001	ग्राम-बिहटा (अलीपुर), थाना-बख्तियारपु जिला-पटना।
4-	सहायक अवर निरी0	नथुनी झा	23-06-2002	ग्राम-पो0-घनश्यामपुर, थाना-घनश्यामपुर जिला-दरभंगा।
5-	सहायक अवर निरी0	नन्द लाल सिंह	21-07-2002	ग्राम-गमरिया, थाना-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।
6-	हवलदार	गणेश ठाकुर		ग्राम-भिखना, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णि

लगातार....5/-

7-	सशस्त्र आरक्षी	कामदेव शर्मा	05-09-2002	ग्राम-सोनपुर, पो0-सिकन्दरपुर, थाना-मकुराबाद जिला-जहानाबाद।
8-	आरक्षी -11	लखी राम मराण्डी	12-12-2000	ग्राम-सकरी बिसमटोल, थाना-पोरैया हाट, जिला-गोड्डा (झारखंड)
9-	आरक्षी-359	कैलाश पासवान	07-05-2000	ग्राम-बगाही, थाना-मुफस्सिल, जिला-मुंगेर।
10-	आरक्षी-429	जती राम दूबे	01-10-2000	ग्राम-गउढाद, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
11-	आरक्षी-724	विश्वनाथ यादव	01-08-1999	ग्राम-लालगंज सेहरा, थाना-पाली, जिला-पटना
12-	आरक्षी-424	ललन सिंह		ग्राम-महादेव, थाना-सहियारा, जिला-सीतामढ़ी

(5) पूर्व निरीक्षण :-

पण्डौल थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1-	श्री आर0आर0प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	24-11-1975	08-01-1976	28-06-1976
2-	श्री एस0एम0 प्रसाद	आ0 निरीक्षक, सदर मधु0	27-06-1976 एवं 28-06-1976	28-06-1976	25-08-1976
3-	श्री आर0आर0प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	18-09-1976	25-11-1976	30-12-1976
4-	श्री एस0एम0प्रसाद	आरक्षी निरीक्षक, सदर, मधुबनी।	02-05-1977 एवं 26-05-1977	28-05-1977	29-06-1977
5-	श्री एन0पी0सहाय	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	30-06-1977	22-10-1977	09-03-1978
6-	श्री आर0एस0गुप्ता	आरक्षी निरी0, सदरमधु0	22-02-1978	18-05-1978	21-06-1978
7-	श्री आर0एस0गुप्ता	तदैव	25-09-1978	19-10-1978	20-10-1978
8-	श्री एन0पी0सहाय	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	28-12-1978	-	02-09-1979

लगातार... 6/-

Scanned with OKEN Scanner

9-	श्री बी0के0सिन्हा	अनु0आ0पदा0, सदर मधुबनी ।	16-05-1979	18-06-1979	30-06-1979
10-	श्री स्व0बी0सिन्हा	आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी ।	31-08-1979	31-08-1979	-
11-	श्री नसीम अहमद	आरक्षी अधीक्षक मधुबनी ।	23-11-1979	29-12-1979	02-02-1980
12-	श्री स्व0पी0सिन्हा	आरक्षी निरीक्षक, मधुबनी ।	30-03-1980	30-03-1980	03-10-1980
13-	श्री स्व0पी0सिन्हा	तदैव	15-08-1980	15-08-1980	07-09-1980
14-	श्री तारकेश्वर प्रसाद	आरक्षी उप महानिरी0, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा ।	21-11-1980	24-11-1980	09-12-1980
15-	श्री रणजीत सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी ।	01-11-1980	07-11-1980	18-12-1980
16-	श्री आर0बी0सिंह	जिला पदा0मधुबनी	25-02-1981	28-02-1981	31-08-1981
17-	श्री स्व0स्व0शुक्ला	अनु0आ0पदाधिकारी, सदर मधुबनी ।	28-03-1981	28-03-1981	31-08-1981
18-	श्री स्व0पी0सिन्हा	आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी ।	31-08-1981	31-08-1981	31-08-1981
19-	श्री हरिशंकर शुक्ला	अनु0आ0पदाधिकारी, सदर मधुबनी ।	22-02-1982	22-02-1982	01-03-1982
20-	श्री स्व0पी0सिन्हा	आरक्षी निरी0सदर मधुबनी ।	14-03-1982	14-03-1982	15-03-1982
21-	श्री स्व0पी0सिन्हा	तदैव	02-07-1982	02-07-1982	02-07-1982
22-	श्री रणजीत सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	20-10-1982	18-12-1982	15-01-1983
23-	श्री हरिशंकर शुक्ला	अनु0आरक्षी पदा0, सदर मधुबनी ।	19-03-1983	10-04-1983	21-04-1983
24-	श्री अरुण चौधरी	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	27-06-1983	14-10-1983	25-10-1983

लगातार...7/-

Scanned with OKEN Scanner

25-	श्री महानंद झा	अनु0आ0पदाधिकारी, सदर मधुबनी ।	15-12-1983	16-12-1983	30-12-1983
26-	श्री भुवनेश्वरप्र0वर्मा	आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी ।	30-12-1983	30-12-1983	31-12-1983
27-	श्री भुवनेश्वर प्र0वर्मा	तदैव	22-08-1984	22-08-1984	19-09-1984
28-	श्री महानन्द झा	अनु0आ0पदाधिकारी, सदर मधुबनी ।	24-11-1984	29-11-1984	05-12-1984
29-	श्री अरुण कु0चौधरी	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	13-03-1985	17-03-1985	02-05-1985
30-	श्री बी0पी0वर्मा	आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी ।	21-10-1985	21-10-1985	21-10-1985
31-	श्री निर्मल चन्द्र दोंढियाल	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	29-10-1985	31-10-1985	15-11-1985
32-	श्री महानन्दझा	अनु0आ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	20-01-1986	22-01-1986	15-02-1986
33-	श्री बरमेश्वर प्र0सिन्हा	आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी ।	26-09-1986	27-09-1986	15-10-1986
34-	श्री एन0सी0दोंढियाल	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	05-02-1987	09-02-1987	30-11-1987
35-	श्री बरमेश्वर प्र0सिन्हा	आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी ।	13-03-1987	16-03-1987	15-03-1988
36-	श्री जुनत कुजूर	अनु0आ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	18-03-1988	22-03-1988	06-04-1988
37-	श्री अजीत दत्त	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	20-03-1988	28-04-1988	05-05-1988
38-	श्री जनदिन प्र0सिंह	आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी ।	15-09-1988	16-09-1988	25-10-1989
39-	श्री जनदिन प्र0सिंह	तदैव	09-03-1989	09-03-1989	24-03-1989
40-	श्री महानंद झा	अनु0आ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	30-11-1986	08-12-1986	25-01-1987

लगातार... 8/-

41-	श्री [illegible] कुमार	अनु0अ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	15-03-1989	21-03-1989	11-04-1989
42-	श्री रणजीत कु0प्रसाद	अनु0अ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	24-11-1990	06-12-1990	15-10-1991
43-	श्री पी0आर0के0नायडू	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	17-12-1991	20-12-1991	15-12-1992
44-	श्री नवीन कुमार सिन्हा	अनु0अ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	27-12-1992	27-12-1992	04-04-1993
5-	श्री आर0स0सिंह	आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी ।	14-03-1993	22-03-1983	31-07-1993
;-	श्री पी0आर0के0नायडू	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	30-08-1993	02-09-1993	30-09-1993
-	श्री नवीन कु0सिन्हा	अनु0अ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	16-10-1993	18-10-1993	28-08-1994
-	श्री नरेश प्र0सिंह	अनु0अ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	29-11-1995	02-01-1996	20-03-1996
	श्री आर0ती0कैथल	आरक्षी उप महानिरी0 दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा ।	26-03-1996	15-07-1996	16-08-1996
	श्री नरेश प्र0सिंह	अनु0अ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	13-02-1997	15-05-1997	27-10-1997
	श्री आर0ती0कैथल	आरक्षी उप महानिरी0 दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा ।	17-07-1997	27-07-1997	27-10-1997
	श्री शहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	28-06-1997	17-07-1997	04-12-1997
	श्री यू0एस0 सुधांशु	अनु0अ0पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	19-11-1997	22-11-1997	04-08-1998
	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आरक्षी निरीक्षक सदर मधुबनी ।	23-01-1998	23-01-1998	-
	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	तदैव ।	11-08-1998	11-08-1998	-
	श्री शहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	02-09-1998	02-10-1998	08-12-1999

लगातार...9/-

Scanned with OKEN Scanner

57-	श्री पू०एस०कुमार	अनु०आ०पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	14-03-1999	18-03-1999	27-11-2002
58-	श्री शिव शंकर	अनु०आ०पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	27-11-2000	27-11-2000	21-02-2001
59-	श्री विमलेश कु०सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	24-02-2001	07-03-2001	07-08-2001
60-	श्री विमलेश कु०सिन्हा	तदैव	31-08-2001	14-09-2001	03-12-2001
61-	श्री शिव शंकर	अनु०आ० पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	09-01-2002	09-01-2002	-
62-	श्री विमलेश कु०सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	28-08-2002	19-09-2002	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1981 में इस थाना का निरीक्षण किया गया है । उसके बाद किसी जिला पदाधिकारी द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा भी इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम-32 में यह स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि "अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वहाँ तक शक्तियाँ प्राप्त है, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्ध करावें । अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय ।

निरीक्षण टिप्पणी के उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी द्वारा वर्ष 2001 के बाद इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि बिहार पुलिस हस्तक के नियम के आलोक में थाना का निरीक्षण करें ।

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि श्री शिवशंकर अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा इस थाना का निरीक्षण 09-01-2002 को किया गया एवं निरीक्षण टिप्पणी भी 09-01-2002 को प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया है । इसी प्रकार श्री विमलेश कुमार सिन्हा, आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

28-08-2002 को इस थाना का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण टिप्पणी 19-09-2002 को प्राप्त हो चुकी है, परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया है, जो चिन्ता की बात है। नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए। वरीय पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान कुछ निर्देश दिये जाते हैं, यदि समय-सीमा के अन्दर दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाय, तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिन निरीक्षी पदाधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, उसका अध्ययन कर अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इसका ख्याल भी रखें।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित पंजी का अवलोकन किया। यह 4(चार) भोलुम में संधारित है एवं सभी निरीक्षी पदाधिकारियों का निरीक्षण टिप्पणी इसी में चिपकाकर रखा गया है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है। प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारी के लिए अलग-अलग रक्षी संचिका(गार्ड फाईल) संधारित होना चाहिए एवं अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में साटा जाना चाहिए। थाना प्रभारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे।

(6) <u>थाना दैनिकी</u> :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-166 के तहत फार्म सं0-15 में थाना दैनिकी संधारित है, जो दो प्रतियों में है। कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक के पास भेज दी जाती है। आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अन्तिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है। थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है। यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर अगले दिन 8-00 बजे पूर्वाह्न तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है। थाना दैनिकी में थाना क्षेत्र में जो भी घटनाएँ होती है, उसकी प्रविष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हाजत में रहा है अथवा नहीं, उक्त तिथि का मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी राशि नगद रूप में है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं, आदि की भी प्रविष्टि की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। थाना दैनिकी को थाना का दर्पण(Mirror of the police station) भी कहा जाता है। बताया गया कि थाना दैनिकी एवं प्राथमिकी पंजी को एक साथ नहीं रखा जाता है। एक साथ रहने पर उस थाना क्षेत्रान्तर्गत कोई अप्रिय घटना घट जाती है। यह मिथक के रूप में जाना जाता है। श्री कामदेश शर्मा, मुंशी द्वारा थाना दैनिकी लिखा जाता है।

m

श्री शर्मा का हस्तलेख सुन्दर एवं साफ है । थाना दैनिकी के भोलूम 8856 के क्रमांक 85601 से 8856 तक का अवलोकन किया गया है।

थाना दैनिकी में पण्डौल थाना सनहा संख्या 35 समय 01-30 बजे आमद का अवलोकन किया । इसमें यह अंकित किया गया है कि स0अ0नि0 ललन सिंह, ग्राम-लक्ष्मीपुर, टोले-केनुआही से साथ आये एवं अपने साथ वादी रविन्द्र नाथ पाण्डेय, पे0 स्व0 मुनेश्वर पाण्डेय, सा0-लक्ष्मीपुर, टोले-केनुआही, थाना-पण्डौल, जिला-मधुबनी के फर्दबयान एवं जप्ती सूची लाये जिसके आधार पर पण्डौल थाना काण्ड संख्या 11/03 दिनांक 3-2-2003 धारा 395/398 भा0द0वि0 विरूद्ध अज्ञात 13 अपराधकर्मी के कायम किया, जिसका अनुसंधान थाना प्रभारी एस0के0यादव कर रहे हैं ।

{7} फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म संख्या-16 में फिरारी पंजी संधारित करना है । इस थाना में विहित प्रपत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण सादे पंजी में संधारित किया गया है । इसे दो भागों में संधारित किया जाता है । भाग-1 में अपने थाना के अपराधकर्मी का नाम एवं भाग-11 में दूसरे थाना के अपराधकर्मी का नाम अंकित किया जाता है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना के फिरार अपराधियों में उपसिया दुसाध पे0 मंगनी दुसाध, सा0-बिठुआर, थाना-पण्डौल की मृत्यु हो जाने की बात बताई गयी, जिसे फिरारी पंजी के भाग-1 में दर्ज किया गया है । मृत फिरारी का नाम फिरारी पंजी से हटाने हेतु प्रस्ताव ज्ञापांक 412/93 दिनांक 22-8-1993 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को प्रस्ताव भेजा गया था, परन्तु उक्त प्रस्ताव पर क्या आदेश हुआ, इसका पता नहीं चल पा रहा है । इसी प्रकार फिरारी मुनेश्वर लाल दास पे0 पन्च लाल दास, सा0-सलेमपु थाना-पण्डौल को तालिका में दिनांक 11-4-1999 को जमानत पर मुक्त दिखाया गया है । भाग-11 में एक फिरारी पचकौड़ी मंडल पे0- भरत मंडल, सा0- उजान, थाना-मनीगाछी, जिला-दरभंगा, जो दरभंगा नगर थाना काण्ड संख्या 4{09{ 49 धारा 302 भा0द0 वि0 के अभियुक्त हैं की जाँच हेतु ओ0पी0 प्रभारी, सरिसबपाही को प्रतिवेदन भेजा गया है । इस फिरारी की उम्र करीब 80 वर्ष बताई गयी है ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि फिरारियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष छापामारी करें । साथ ह जिस मृत फिरारी का नाम फिरारी पंजी से हटाने हेतु प्रस्ताव आरक्षी अधीक्षक को भेजा गया है, उसकी छानबीन कर फिरारी पंजी से हटाना सुनिश्चित करें ।

लगातार....12/-

Scanned with OKEN Scanner

(8) गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या- 31ए में इस पंजी का संधारण किया जाना है । इस थाना में विहित प्रपत्र के अप्राप्त रहने के कारण सादे पंजी में संधारित किया गया है । माह-जनवरी-03 एवं फरवरी-03 में कितने अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । थाना प्रभारी स्थिति स्पष्ट करें । थाना प्रभारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि विभिन्न अपराधिक मामलों में अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु सघन कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

(9) रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-109 के तहत फार्म सं0-50 में इस पंजी को संधारित करना है । इस थाना मे यह पंजी संधारित है । थाना प्रभारी ने बताया कि 5 कुर्की एवं 5 वारंट तामिला हेतु लंबित है, जो गम्भीर विषय है । नियमानुसार लंबित वारंट/कुर्की का तामिला/निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर किया जाना है। अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट/कुर्की का छानबीन कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र अवगत करावें । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि पूर्व माह में कितने वारंट/कुर्की लंबित थे, वर्त्तमान माह में कितना प्राप्त हुआ एवं वर्त्तमान माह में कितना निष्पादन हेतु । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट/कुर्की के संबंध में विस्तृत विवरणी अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें एवं उसका त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें । साथ ही किन-किन पदाधिकारी के जिम्मे कितने वारंट/कुर्की लंबित है, इसका भी विवरणी तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें ।

(10) रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-130 के तहत फार्म संख्या-25 में यह पंजी संधारित है । पंजी का अवलोकन किया । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला शास्त्र पंजी से दिनांक 28-8-2002 को मिलान किया गया है । बिहार शास्त्र अधिनियम-48 के तहत वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान जिला शास्त्र पंजी से करवाया जाना है, जो नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करें ।

लगातार....13/-

इस थाना में कुल 60 स्टाफ पदस्थापित है, जिनकी विवरणी निम्नवत है :-

(क) पु०अ०नि०/स०अ०नि०	:=	07
(ख) हव०/सि०/सि०	:=	49
(ग) रसोइया	:=	03
(घ) ड्राइवर	:=	01
	कुल :=	60

(11) स्टेशन डायरी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-11 के नियम-239 व धारा संख्या-63 [illegible] यह डायरी संधारित किया जाता है। इस थाना में यह डायरी हाल ही में खोला गया है, परन्तु डायरी के सभी स्तम्भों को सही ढंग से नहीं भरा गया है। यदि इस डायरी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है, कलम खाली छोड़े जाते हैं तथा यदि किसी घटना के साथ संलग्नता कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है। यह डायरी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस डायरी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है। उस समय यह डायरी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस डायरी का संधारण नियमानुसार करें एवं डायरी हमेशा अद्यतन रखें।

(12) तख्ती नं०-1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-76 के तहत तख्तियां को संधारित करना है। तख्ती नं०-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है। तख्ती नं०-1 का निरीक्षण किया, जो सही ढंग से संधारित नहीं है। इस तख्ती का निर्माण [illegible] से कब कराया गया, इसका कोई जिक्र निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया है। थाना प्रभारी स्थिति स्पष्ट करें एवं तख्ती का संधारण नियमानुसार करें।

(13) तख्ती नं०-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम/पता इसी तख्ती में अंकित किया जाता है, जो

क्रमशः..14/=

Scanned with OKEN Scanner

विधिवत संधारित है ।

{14} तख्ती नं03 :-

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्त प्राप्त कारखाने, भंडार और दुकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि विस्फोटक अनुज्ञाप्ति-प्राप्त भंडार का कोई मामला इस थाना में नहीं है ।

{15} तख्ती नं0-4 :-

इस तख्ती में आयुध, गोला-बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में कोई भी आयुध फैक्ट्री या भण्डार नहीं है ।

{16} तख्ती नं0-5 :-

इस तख्ती में विष-अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र प्राप्त दुकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में विष-अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त कोई दुकान नहीं है ।

{17} तख्ती नं0-6 :-

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञापत्र प्राप्त दुकानों की सूची रखी जाती है । तख्ती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्ति की प्रति तख्ती में नहीं रखा गया है, जिसे उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर रखने का निर्देश दिया जाता है । थाना प्रभारी ने बताया कि पण्डौल थाना क्षेत्रान्तर्गत 2{दो} शराब की दुकानें क्रमश: एक देशी शराब की दुकान एवं एक विदेशी शराब की दुकान है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	अनुज्ञप्तिधारी का नाम/पता	अनुज्ञप्ति संख्या	दुकान का प्रकार	दुकान का स्थल
1	2	3	4	5
-	श्री महेन्द्र सेठ पे0 श्री राम नारायण सेठ, सा0-सूरतगंज, मधुबनी ।	66ए-23/02-03	देशी शराब की दुकान	पण्डौल बाजार स्थित श्री रंजीत खां के मकान में ।
-	श्री कविन्दर महतो पे0-रामस्प महतो, सीतामढ़ी, गोशाला चौक,	66ए-8/02-03	विदेशी शराब की दुकान	पण्डौल बस पड़ाव के पास स्थित श्री लक्ष्मी महासेठ के मकान में ।

लगातार...15/-

Scanned with OKEN Scanner

(18) तख्ती नं0-7 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण काण्डों से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है, परन्तु हस्ताक्षर नहीं किया गया है । थाना प्रभारी इसे सुनिश्चित करेंगे ।

(19) तख्ती नं0- 8 :-

इस तख्ती में जुआ, गेमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में गेमिंग एवं जुआ का कोई अड्डा नहीं है ।

(20) तख्ती नं0-9 :-

थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार एवं मेले की सूचना इस तख्ती में अंकित की जाती है । तख्ती अद्यतन है एवं लगने वाले हाट बाजार एवं मेले की तिथिवार सूचना निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	हाट, मेला एवं बाजारकास्थान	लगने के दिन	अभ्युक्ति
1-	पण्डौल	सोमवार, शुक्रवार	बाजार/हाट
2-	लोहा	मंगलवार, शनिवार	हाट
3-	भगवतीपुर	प्रतिदिन	बाजार/हाट
4-	सिसौना कमलपुर	रविवार, बुधवार	हाट
5-	बेलाही	सोमवार	हाट
6-	शाहपुर	रविवार, बुधवार	हाट
7-	विजयी सलेमपुर	शनिवार	
8-	दो मंठा	कार्तिक पूर्णिमा मेला	मेला ।

(21) तख्ती नं0-10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के माननीय सांसदों/विधायकों/जिला परिषद के सदस्यों/प्रखंड प्रमुख/उप प्रमुख एवं मुखिया का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन संधारित है ।

लगातार....16/-

Scanned with OKEN Scanner

(22) तख्ती नं0- 12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या-6 है, जिसमें कोटी-ए में 5 एवं कोटी-बी में-एक दागी हैं । कुल 6(छः) दागियों की सूची तैयार की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्रम0	दागी संख्या	नाम/पिता का नाम	पता	अपराध शैली
1	2	3	4	5
1-	ए/16	फुलिया पासवान पे0 बतहु पासवान, सा0- डीहटोल, थाना-पण्डौल ।	सा0-डीहटोल, थाना-पण्डौल	चोरी
2-	ए/17	रामजी पासवान पे0 बतहु पासवान	सा0- बुधन टोल, थाना-पंडौल	चोरी
3-	ए/23	शेख ईशरायल पे0- शेख फरमद	सा0- चाँदी टोल, थाना-पंडौल	डकैती
4-	ए/25	मो0 अलाउद्दीन पे0- मो0 संगीर	सा0- अमृत गंज, लोहट, थाना-पण्डौल ।	चोरी
5-	ए/26	शिव शंकर साह पे0-मुसहर साह	सा0- सिसरहा, थाना-पण्डौल	डकैती
6-	बी/6	योगेन्द्र प0 रब्बानी पे0-मुकुन्द प0 रब्बानी	सा0- बढ़ई टोल, थाना-पण्डौल	अवैध शस्त्रधारी ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी दागियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें । हो सकता है कि उपरोक्त दागियों में से कुछ दागियों की मृत्यु भी हो गयी है । अतः थाना प्रभारी इसकी जाँच कर तख्ती से ऐसे दागियों का नाम हटाने हेतु प्रस्ताव आरक्षी अधीक्षक को भेजना सुनिश्चित करें ।

(23) तख्ती नं0-13 :-

इस तख्ती में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । सूची के अनुसार सीमावर्ती थाना

हरिहरपट्टी का दो, भैरवस्थान का 21, तकरी का 7 एवं राजनगर थाना का 4 कुल मिलाकर 34 (चौंतीस) सक्रिय अपराधकर्मी हैं ।
थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी सक्रिय अपराधकर्मियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें । पंजी पर थानाप्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है ।

(24) पंजी नं0-14 :-

इस पंजी में अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना के वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन भेजी जाती है । परन्तु पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी एवं अनुमण्डल दण्डाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, जो चिन्ता की बात है । क्या थाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल दण्डाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, थाना प्रभारी इसे स्पष्ट करें । थाना प्रभारी भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(25) पंजी नं0-15 :-

इस पंजी में थाना का मानचित्र रखा जाता है । मानचित्र संधारित है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र टंगा रहेगा, जिस पर भट्ठियाँ, शराब की दुकानें, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे, नेपाल या अन्य देश से सह-सीमित हों, तो इन देशों के सहसीमित थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का पालन नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम-131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

(26) पंजी नं0-16:-

इस पंजी में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं0, गाँवों की संख्या, आबादी, क्षेत्रफल आदि अंकित की जाती है । यह पंजी संधारित है ।

(27) पंजी नं0- 17 :-

इस पंजी में थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/कर्मियों का कार्य वितरण की सूची अंकित किया जाता है, जो अद्यतन संधारित है ।

लगातार...18/-

(28) सब इन्स्पेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-357 के तहत बाई संख्या-73 बी० में सब इन्स्पेक्टर नोट बुक संधारित करना है। अनुसंधानकर्ता ने बताया कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र के प्राप्त नहीं होने के कारण सादा पंजी में संधारित किया जा रहा है। इसे थाना प्रभारी द्वारा अपने हाथ से लिखा जाता है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से प्रपत्र प्राप्त कर नियमानुसार इसका संधारण सुनिश्चित करें।

(29) क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर पार्ट-I :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है, परन्तु दिसम्बर, 2002 के बाद से संधारित नहीं किया जा रहा है। आरक्षी निरीक्षक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें एवं पंजी को अद्यतन रखें।

(30) क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर पार्ट-II :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है, जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्ता का नाम, अभियोग का निष्पादन किस प्रकार करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है।

(31) सी०डी० पार्ट-I :-

इसमें दागी व्यक्तियों (डोजियर्स) की सूची रखी जाती है। इस थाना में विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में विहित प्रपत्र तैयार कर संधारित किया गया है। इसमें पुराना दागी भी सम्मिलित किए गए हैं। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण सही ढंग से करें।

(32) सी०डी० पार्ट-II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है। पंजी विधिवत संधारित है एवं अद्यतन है।

लगातार...19/-

(33) सी0डी0पार्ट-III :-

यह पंजी विधिवत संधारित है एवं थाना प्रभारी द्वारा अपने हाथ से लिखा जा रहा है । इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार अंकित की जाती है ।

(34) अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है । इस पंजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है, तो उसे अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0पार्ट-II से जानकारी ली जाती है । इस पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले से संलिप्त हैं । थाना प्रभारी ने बताया कि चरित्र सत्यापन से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है ।

(35) अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	आग में जलने से	पानी में डूबने से	फाँसी से	पेड़ से गिरने से	जहर से	बिजली से	साँप काटने से	विविध
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1998	1	-	-	-	1	-	1	2
1999	1	-	1	-	3	-	-	1
2000	1	-	1	-	3	-	-	1
2001	2	1	1	-	-	2	1	2
2002	3	-	1	-	-	-	-	2
2003	-	-	-	-	-	-	-	-

(22-2-2003 तक)

लगातार... 20/-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग किन-किन पदाधिकारी के जिम्मे लंबित है, का कोई चिह्न नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिन-जिन पदाधिकारी के जिम्मे लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियो निष्पादन हेतु लंबित है, की सूची , यू0डी0 कांड संख्या सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(5) अनुसूचित जाति /जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहतदर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए एक पंजी का संधारण हाल ही में किया गया है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष का एक भी मामला लंबित नहीं है ।पंजी का अवलोकन किया । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1998 में पण्डौल थाना काण्ड संख्या 181/99 दिनांक 9-11-99 धारा 147/427/379/504 भा0द0वि0 एवं 3(1)(x) अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार अधिनियम में आरोप पत्र संख्या 98/2000 दिनांक 25-11-2000 को दाखिल किया गया है । इसी प्रकार पण्डौल थाना काण्ड संख्या 189/99 दिनांक 18-11-1999 दिनांक 341/323/379/504 भा0द0वि0 एवं 3(1)(x) अनु जाति/जनजाति अधिनियम में आरोप-पत्र संख्या 34/2000 दिनांक 30-5-2000 द्वारा दाखिल किया जा चुका है । जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित 'जनता दरबार' में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं मिल पाती है । यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक एवं गम्भीर है । पण्डौल थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति/ जाति बहुल्य क्षेत्र है एवं आये दिन विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती है । अतएव, थाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करें ।

(6) रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम323 के तहत फार्म संख्या-67 में यह पंजी संधारित करना है जो संधारित है । थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना में 3(तीन) शास्त्र वर्त्तमान में जमा हैं । बताया गया कि तीनो शास्त्र वर्ष 1995 से ही थाना में जमा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित अनुज्ञाप्तिधारियों को नोटिस निर्गत कर इसे निस्तार कराना सुनिश्चित करें एवं उसकी सूचना जिला शास्त्र दण्डाधिकारी, मधुबनी को भी दें ।

(7) दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म संख्या 6ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । विभिन्न थानों

लगातार...21/-

के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा है, जो उचित नहीं है । नियम 59(क) में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि "प्रपत्र संख्या 69. में नित्य प्रतिवेदन प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन प्रतिवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे । आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(39) डबैती पंजी :-

यह पंजी सादे पंजी में संधारित किया गया है परन्तु सही ढंग से संधारित नहीं है । इस पंजी में काण्डों से संबंधित संक्षिप्त विवरणियाँ अंकित की जाती है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार करना सुनिश्चित करें ।

(40) गुण्डा पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 316(क) के अनुसार अपराध शैली के अनुसार 14 प्रकार के गुण्डोंका वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार निम्नप्रकार के गुण्डा होते हैं :- (1) शराबी (2) दवाब डालकर पैसा ऐंठने वाले (3) मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले (4) महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले (5) काला बाजारी करने वाले (6) दंगाई (7) मुकदमेबाज (8) तोड़-फोड़ करने वाले (9) सम्प्रदायवादी (10) छात्रों को भड़काने वाले (11) स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले (12) जुआड़ी (13) छीन-छोर करने वाले (14) रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया सादे पंजी में इसे संधारित किया गया है ।

(41) अप्राथमिकी पंजी :-

यह पंजी विधिवत इस थाना में संधारित किया गया है । विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

लगातार.... 22/-

वर्ष	107/116 सी0आर0पी0सी	144	133	182/211	188	109
1	2	3	4	5	6	7
1997	71	06	–	03	–	–
1998	97	11	01	06	2	–
1999	93	10	–	04	–	–
2000	121	17	02	02	–	–
2001	169	13	–	02	–	–
2002	103	07	–	01	–	–
2003 {22-2-2003 तक}	08	02	–	–	–	–

अप्राथमिकी पंजी का अवलोकन किया गया । यह सादे पंजी में संधारित है । पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि नोटिस का तामिलासही ढंग से नहीं कराया जाता है । अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा 107 दं0प्र0सं0 का जो नोटिस तामिला हेतु भेजा जाता है, उसके लिए अलग से कोई पंजी संधारित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार करें एवं नोटिस का तामिला सही समय पर कराना सुनिश्चित करें ।

{42} प्राथमिकी पंजी :-

इस थाना में प्राथमिकी पंजी संधारित है । प्राथमिकी पंजी के भौलुम संख्या 18080 के क्रमांक 0903951 से 090400 तक का अवलोकन किया । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष अब तक 15 प्राथमिकी दर्ज हुए हैं । विगत वर्ष में 235 प्राथमिकी इस थाना में दर्ज हुए थे जिसके विरूद्ध 282 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । 77 मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है । बताया गया कि प्राथमिकी पंजी 13 कॉलम में संधारित किया जाता है एवं पाँच प्रतियों में तैयार किया जाता है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को, दूसरी प्रति आरक्षी

अधीक्षक को, तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है। चूँकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में आता है, तो उसे प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए। शिकायत करने आये व्यक्ति की बात पूरी तन्मयता से सुनकर, प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। थाना प्रभारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

§43§ लंबित विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी :-

इस थाना के अन्तर्गत लंबित विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	तिथि	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1	2	3	4	5	6
1-	222/86	1-12-86	467/468/420/409/203/41/511 भा0द0वि0	अनु0आ0पदा0असर मधुबनी	अभियोजन स्वीकृति
2-	39/2000	22-03-00	144/341/504/427/भा0द0वि0 एवं 315 विस्फोटक पदा0अभि0	अ0नि0 एस0के0यादव	सी0आई0डी0जाँचहेतु
3-	66/02	02-05-02	384/386/504/353/34 भा0द0वि0 3§x§ अनु0जा0जनजाति अ0अ0	अ0नि0 एस0के0यादव	गिरफ्तारी हेतु।
4-	195/99	06-12-99	495ए/498ए/323/109 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0यादव	अभियोजन स्वीकृति
5-	24/01	04-03-01	304§बी§/201/34 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0यादव	गिरफ्तारी हेतु।
6-	112/01	20-07-01	395/भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0यादव	तत्यापन हेतु।
7-	171/01	23-11-01	395 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0यादव	आदेश का अनुपालन हेतु।
8-	13/02	07-02-01	395 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0यादव	तदैव।
9-	41/02	15-03-02	395 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0यादव	पहचान परेड, गिरफ्तारी हेतु।
10-	67/02	07-05-02	396 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0यादव	अनुपालन हेतु।

Scanned with OKEN Scanner

11-	165/02	11-10-02	395 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0पासवान	अनुसंधान हेतु ।
12-	111/02	27-06-02	406/420/467 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0पासवान	अनुसंधान हेतु ।
13-	93/99	23-06-99	406/409/420/120(बी) भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0झा	आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा के आदेश हेतु ।
14-	179/99	23-06-99	406/409/420/120(बी) भा0द0वि0	अ0नि0एस0के0झा	गिरफ्तारी हेतु ।
15-	224/02	04-11-02	341/447/323/379/386/504, 34 एवं 25(1-बी)आर्म्स एक्ट ।	अ0नि0 एस0के0झा	गिरफ्तारी हेतु ।
16-	57/01	20-04-02	4/5 एक्सप्लोसिव एक्ट	अ0नि0एन0झा	बम जाँच हेतु ।
17-	173/02	12-09-02	366(ए)/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 एन0एल0सिंह	गिरफ्तारी हेतु ।
18-	05/03	12-01-03	341/323/373/386/504/34/ एवं 3(x) अनु0जाति जन जाति अधिनियम ।	स0अ0नि0 एन0एल0सिंह	आदेश हेतु ।
19-	11/03	03-02-02	395/398 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0पासवान	अनुसंधान हेतु ।

लंबित विशेष प्रतिवेदित काण्डों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1986 का एक मामला, वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 - बहुत सारे मामले लंबित हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित विशेष काण्डों के निष्पादन की दिशा में अविलम्ब - आवश्यक कार्रवाई करें ।

(ख) लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी :-

इस थानान्तर्गत लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	तिथि	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	62/95	6-5-95	409/406/34 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0झा	आदेश हेतु ।
2-	134/02	22-7-02	279/333 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0के0झा	अनुसंधान हेतु ।
3-	88/01	13-6-01	279/304(ए) भा0द0वि0	स0अ0नि0 नन्दलाल सिंह	अनुसंधान हेतु ।

लगातार.....25/-

4-	219/02	30-11-02	341/323/448/379/468/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 नन्दलाल सिंह	गिरफ्तारी हेतु ।
5-	232/02	21-12-02	147/341/323/324/452/380/ 307:304 भा0द0वि0	स0अ0नि0 नन्दलाल सिंह	गिरफ्तारी हेतु ।
6-	81/02	15-05-02	279/304(ए) भा0द0वि0	अ0नि0 बी0के0मंडल	प्रभार हेतु ।
7-	229/02	15-12-02	435 भा0द0वि0	स0अ0नि0 एन0 झा	अरेस्ट हेतु ।
8-	12/03	03-02-03	341/323/379/504 भा0द0वि0	स0अ0नि0 एन0एल0सिंह	अनुसंधान हेतु ।
9-	15/03	18-02-03	342/323//379 भा0द0वि0	स0अ0नि0 एस रजक	अनुसंधान हेतु ।

थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित अविशोध काण्डों की समीक्षा कर उसके निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

(45) मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 308 के तहत फार्म-51 में मालखाना पंजी संधारित करना है । इस थाना में विहित प्रपत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण सादे पंजी में संधारित किया गया है । श्री एस0के0झा, अ0नि0 मालखाना के प्रभारी हैं । मालखाना का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि रखे गये सामानों के ऊपर लेवलिंग नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चलता कि किस मामले में एवं कब सामान जप्त किया गया है । मालखाना पंजी के अनुसार वर्ष 1974 से लेकर 2003 (22-2-2003 तक) प्रदर्श के रूप में 96, कुर्की का 63, एवं लावारिश का 4 कुल 163 मद मालखाना में जमा है । मालखाना में रखी गई सम्पत्तियों के निष्पादन हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत से काण्डों में न्यायालय का आदेश पूर्व में पारित हो गया होगा । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर इसका निष्पादन अविलम्ब सुनिश्चित करें ।

लगातार.....26/-

16) अपराध आँकड़ा :-

पण्डौल थाना अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा
1997	2	2	-	4	6	13
1998	1	-	1	5	8	12
1999	1	1	-	1	10	17
2000	2	1	-	2	12	08
2001	-	2	-	1	04	11
2002	-	4	-	1	08	03
2003 (21-2-2003 तक)	-	1	-	-	02	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र हत्या एवं लूट की घटना को छोड़कर सभी शीर्षों (मदों) में अपराध की घटना में वृद्धि हुई है । इसके रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन अभियान चलाकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी एवं आरक्षी निरीक्षक, सदर अंचल को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

17) मालखाना रिलीज भाउचर पंजी :-

मालखाना रिलीज भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री (वस्तु) मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति इस पंजी में पेस्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भाग में होती है। थाना प्रभारी ने बताया इसका संधारण किया जा रहा है ।

(48) अनुक्रमणी पंजी :-

इस थाना में कितने तरह की पंजियाँ अथवा संचिकाएँ संधारित की जाती है, उसकी अनुक्रमणी पंजी नहीं बनाई गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर थाना में उपलब्ध सभी पंजियों/संचिकाओं को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से भी मार्गनिर्देश प्राप्त किया जा सकता है ।

(49) पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 199 अ. में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र 119 आ. में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है, जिसमें (1) न्यायालय से संबंधित (2) विभाग से संबंधित (3) सीमावर्त्ती थाना से संबंधित एवं (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । थाना प्रभारी ने बताया कि पंजी संधारित है एवं प्राप्त पत्रों को इन्द्राज किया जाता है ।

(50) रोकड़ बही :-

यह पंजी विधिवत विहित प्रपत्र में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी ने बताया कि यह दो भागों में लिखा जाता है । भाग -I में कैदी भोजन मद का लेखा-जोखा लिखा जाता है । भाग-II में पदाधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान एवं अन्य प्रकार के भुगतान का लेखा-जोखा लिखा जाता है । इस मद में 2464/-रुपया अवशेष है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अवशेष राशि का भुगतान कर्मियों के बीच शीघ्र करना सुनिश्चित करें ।

(51) चौकीदार पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है जिसमें चौकीदारों की उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जाती है तथा अनुपस्थिति लाल स्याही से इटालियन में लिखा जाता है ।

लगातार.... 28/-

चौकीदार/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्त	अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6
1-	दफादार	3	2	1	
2-	चौकीदार	42	34	8	
	कुल :-	45	36	9	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दफादार/चौकीदार का स्वीकृत बल के विरुद्ध दफादार का एक पद एवं चौकीदार का 8 पद रिक्त है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि दफादार/चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नियमानुसार योग्य व्यक्तियों का प्रस्ताव उचित माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ।

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची निम्नवत है :-

क्रमांक	बीट नं0	पदनाम	नाम	नियुक्ति की तिथि	महाल का नाम
1	2	3	4	5	6
1-	VII	दफादार	रामभजन झा	1982	
2-	VII	चौकीदार7/1	नारायण दास	10-8-1994	
3-	VII	चौकीदार7/2	रामप्रवेश दास	06-08-1979	
4-	VII	चौकीदार7/3	रामप्रवेश राय	01-01-1990	
5-	VII	चौकीदार7/5	प्रकाश सदाय	04-08-1999	
6-	VII	चौकीदार7/7	राजवंशी यादव	15-11-1984	
7-	VII	चौकीदार7/8	बिकाऊ दास	01-01-1985	
8-	VII	चौकीदार7/11	उमेश पासवान	05-08-1996	
9-	VII	चौकीदार7/13	सीताराम पासवान	12-09-1996	
10-	VII	चौकीदार7/14	मो0 टुन्ना	27-05-2002	

लगातार....29/-

Scanned with OKEN Scanner

11-	VII	चौकीदार-7/15	राम खेलावन साह	07-04-1979	-
12-	VIII	चौकीदार-8/2	राम परीक्षण पासवान	28-05-1973	-
13-	VIII	चौकीदार-8/3	किशोर पासवान	06-08-1988	-
14-	VIII	चौकीदार-8/4	तेतर पासवान	-	-
15-	VIII	चौकीदार-8/5	शिवलाल चौधरी	25-07-1982	-
16-	VIII	महिला चौकीदार-8/6	रेशमा देवी	26-03-2001	-
17-	VIII	चौकीदार-8/7	राज कुमार पासवान	30-06-1996	-
18-	VIII	चौकीदार-8/8	लैनी पासवान	09-02-1988	-
19-	VIII	चौकीदार-8/9	मलहू पासवान	12-06-1996	-
20-	VIII	चौकीदार-8/10	पूरन पासवान	-	-
21-	VIII	चौकीदार-8/11	लक्ष्मी पासवान	20-09-1979	-
22-	VIII	चौकीदार-8/12	राम विलास मुखिया	05-08-1990	-
23-	IX	चौकीदार-10दफा	राम सुन्दर मिश्रा	23-09-1995	-
24-	IX	चौकीदार-10/1	सिंघेश्वर पासवान	15-05-1970	-
25-	IX	चौकीदार-10/2	भोगी पासवान	26-05-1993	-
26-	IX	चौकीदार-10/3	हरदेव म्हेरी	06-02-1988	-
27-	IX	चौकीदार-10/4	जीवछ मण्डल	12-03-2000	-
28-	IX	चौकीदार-10/6	तुरन्त यादव	1982	-
29-	IX	चौकीदार-10/7	बिकन यादव	1982	-
30-	IX	चौकीदार-10/9	सुरेश मंडल	12-06-1996	-
31-	IX	चौकीदार-10/10	फतुरी पासवान	1982	-
32-	IX	चौकीदार-10/11	बेचन मंडल	1982	-
33-	IX	चौकीदार-10/12	हरिश्चन्द्र यादव	1994	-
34-	IX	चौकीदार-10/13	लक्ष्मी पासवान	25-07-1987	-
35-	IX	चौकीदार-10/14	मो० मोती	01-08-1994	
36-	IX	चौकीदार-10/15	रविन्द्र नाथ यादव	14-04-1984	-

लगातार...30/-

Scanned with OKEN Scanner

(52) चौकीदार डिसमोबिलेशन पंजी :-

विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पन्ने में पंजी संधारित है, परन्तु सही ढंग से संधारित नहीं किया गया है । इस पंजी में चौकीदारों की नियुक्ति संबंधी विवरणी अंकित की जाती है । पंजी में चौकीदारों का कोई विवरण नहीं है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार इस पंजी का संधारण करना सुनिश्चित करें ।

(53) सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर निम्नांकित सम्मान गार्ड कवायद द्वारा आरक्षियों को सलामी दी गई । सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने हेतु नियमानुसार उन्हें पुरस्कृत करना चाहेंगे :-

1- हवलदार अनिरुद्ध शर्मा
2- 799-मो0 सलाम खाँ
3- 541 अमर कान्त झा
4- 66 कामेश्वर पासवान
5- 154 रामानन्द यादव

(54) थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से उनके कर्त्तव्य के बारे में पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया । फिर भी विशेष जानकारी हेतु बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81(क) में थाना प्रभारी का क्या कर्त्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

(क) अधिवासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।
(ख) अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलम्ब ब्यौरे पाना ।
(ग) अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी रखना ।
(घ) अपराध निर्देशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।
(ङ) सघन गश्त की व्यवस्था करना ।
(च) असंज्ञेय के केसों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना ।

Scanned with OKEN Scanner

(छ) सीमावर्ती थानों के अधिकारियों से माह अधिक से अधिक सम्पर्क करना ।

थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ अन्य निर्देशों का अनुपालन भी सख्ती से करें ।

(55) अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी०पी० द्वारा प्रायः शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ग्वाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे तथा केस डायरी की मांग किये जाने पर तत्काल उपलब्ध करायेंगे ।

(ख) एस०पी०ओ० द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में काण्डों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थानाप्रभारी लंबित काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

(ग) नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी० डब्लू० एवं बी० डब्लू० का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके । थाना प्रभारी से पूछने पर नीलाम-पत्र वाद का कोई मामला तामिला हेतु लंबित है अथवा नहीं, के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि नीलाम-पत्र वाद से संबंधित जो भी मामला है, उसकी सूची बनाकर यदि कालबाधित होता है, तो उसे रिभेलिडेट कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

(घ) भूमि विवाद/नीलाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकीदारों को माह में एक बार अंचल अधिकारी के पास अवश्य भेजें ताकि उनके सहयोग से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राशि की वसूली की जा सके ।

(ङ) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें ।

(च) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम करने में पुख्ता विकास

पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(छ) चौकीदारों परेड का निरीक्षण के दौरान सभी चौकीदारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में एवं अन्य गतिविधि के संबंध में थाना को निश्चित रूप से सूचना दें । साथ ही नीलाम-पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली में अंचल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

(ज) थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि जिला नीलाम-पत्र प्रशाखा, मधुबनी से सभी थानों में नीलाम-पत्र वाद का प्रतिवेदन भेजने हेतु कम्प्यूटराईज्ड प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसे प्रत्येक माह भरकर जिला नीलाम-पत्र शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(झ) चौकीदारी परेड के दौरान कुछ चौकीदारों द्वारा बताया गया कि उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं मिलता है । इस संबंध में अंचल अधिकारी वस्तुस्थिति स्पष्ट करें ।

§ 56 § निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस थाना का कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । थाना में स्थित पंजी का रख-रखाव, प्रतिवेदन-विवरणी भेजने की स्थिति ठीक नहीं है । थाना प्रभारी सुशील कुमार यादव यद्यपि एक चुस्त-दुरूस्त पुलिस पदाधिकारी हैं परन्तु उन्हें बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है । आरक्षी सत्तक अधिनियम का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें । थाना स्थित सभी पंजियों में पृष्टों का सत्यापन पंजी के प्रथम पन्ने में अवश्य करें। यदि इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाता है, तो थाना के कार्यकलाप में और भी गुणात्मक सुधार आसकता है ।

ह0/-डी0वीरराजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार....33/-

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञाप संख्या - 498 (सामान्य, मधुबनी, दिनांक 7 अप्रील, 2003 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह(विशेष) विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन), बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि थाना प्रभारी, पण्डौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Majumdar 6/4/2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

Scanned with OKEN Scanner